न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 25/2021
GCMS NO. : 2021/67

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मुन्नाराम पुत्र भीकाराम 2. धर्मीचन्द पुत्र ओगडराम 3. मांगीलाल पुत्र ओगडराम 4. मैनादेवी पत्नी किशनलाल 5. गलकाई पत्नी ओगड़राम जातियान–सीरवी, निवासीगण आगेवा तहसील जैतारण।		1. पुखराज पुत्र चौथाराम 2. जयराम पुत्र चौथाराम 3. धीराराम पुत्र धन्नाराम फौत के का.मु. 3/1. लक्षमण पुत्र धीराराम जातियान–सीरवी निवासीगण–आगेवा तहसील जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 19/07/2021

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, श्री अरूणसिंह राठौड, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री किशोर कुमार कुमावत, श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान एव गैरसायलान की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 619 रकबा 8.3365 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.1214 हैक्टर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.7608 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 621 रकबा 6.8716 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि है एवं सायलान एवं गैरसायलान उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम नही है तथा उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि एक जोत में है। सायलान एवं गैरसायलान की उक्त सामलाती खसरा नम्बरान् कृषि भूमि मे अपने–अपने हक हिस्से के खेतो, कुए एवं रहवासीय मकान में आने जाने हेतू एक रास्ता सभी खातेदारान के पूर्वजो ने अपनी सहमति व स्वीकारोक्ति से खसरा नम्बर 621 में से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मौके पर छोड़ रखा है जिससे सभी खातेदारान अपने निवास स्थान से गांव मे आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने एवं ट्रैक्टर, जीप कार, मोटरसाईकिल एवं अन्य कृषि कार्य मे उपयोग लिये जाने वाले साधनो को लाने ले जाने एवं अपने मवेशीयो को लाने ले जाने हेतू रास्ते के रूप में अपने पूर्वजो के समय से उपयोग उपभोग एवं आवागमन के रूप मे बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्ण तरीके से काम में लेते आ रहे है उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे अलग से तरमीम नही होने से गैरसायलान आये दिन रास्ते की भूमि को लेकर के विवाद करते है एवं मुख्य रास्ता जो सभी खातेदारान काश्तकारान अपने पूर्वजो के समय से काम मे लेते आ रहे है उसमे गैरसायलान् आये दिन खूर्द बुर्द कर, रास्ते मे ट्रैक्टर चलाकर रास्ते की भूमि पर जबरन खडाई कर देते है एवं कंटीली बबूल की झांडिया रास्ते में डालकर रास्ते को अवरूद्ध कर देते हैं जिससे सायलान को अपने खेतो व कुए तथा रहवासी मकान मे आने जाने में काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है इस बाबत् सायलान ने गैरसायलान को रास्ता अवरूद्ध करने से कई बार मना किया, फिर भी गैरसायलान नही मान रहे है एवं रास्ते की भूमि पर अवैध व गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने एवं रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की धमकीया देते है एवं रास्ता बंद करने के एलानिया कथन करते है। एक मात्र रास्ता भी यही है जिसे गैरसायलान बंद कर देते है तो समस्त खातेदारान को आर्थिक नुकसान कारित होगा। इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। सायलान तथा गैरसायलान एवं अन्य खातेदारान् के आवागमन के एक मात्र मुख्य रास्ता, जो पूर्वजो के समय से कायम हैं एवं उसका आवागमन के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं उक्त एक मात्र मुख्य रास्ता गूगल के सेटेलाईट मेप की दर्शित है जिसकी फोटो प्रति साथ संलग्न है। गैरसायलान व उनके प्रतिनिधि एवं काश्तकार भगाराम व केसाराम, सीता पत्नी भगाराम ने दिनांक 12/06/2021 को मौके पर आकर सायलान व अन्य सभी खातेदारान के आने जाने वाले मुख्य रास्ते मे दखलन्दाजी करने व रास्ते को बंद का प्रयास किया एवं सायलान् के खातेदारी खेत व कुऐ तथा रहवासीय मकान पर आने जाने वाले मुख्य रास्ते को खूर्द बुर्द कर अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने की ऐलानिया धमकी दी जबकि गैरसायलान् को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायलान व अन्य सहखातेदारान काश्तकारान के खेतो कुए एवं रहवासीय मकान मे आने जाने वाले मुख्य रास्ते मे कंटीली बबूल की झाडीया व पत्थर डालकर खडाई कर बंद कर देते है तो सायलान् को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं सायलान अपने जायज रास्ते के हक हकूको अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे तथा मौके पर रास्ता पूर्वजो के समय से कायम होने एवं उसका उपयोग उपभोग सायलान व अन्य सहखातेदारान काश्तकारो द्वारा अपने खेत, कुए व रहवासीय मकान पर आने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जाने हेतू आवागमन के रूप में काम में लेने से एवं मौके पर उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजत पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 621 मे सायलान एवं गैरसायलान तथा अन्य सहखातेदारान के पूर्वजों द्वारा अपने-अपने खेतो कुए व रहवासीय मकान पर आने जाने हेतू एक रास्ता आपसी सहमति से छोड गया जिसको गैरसायलान उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से कंटीली बबूल की झाडीया व पत्थर डालकर एवं रास्ते की भूमि पर खडाई कर बंद व अवरूद्ध नहीं करे व सायलान अपने खेत, कुए तथा रहवासीय मकान मे स्वयं आने जाने व ट्रैक्टर छकडा, बैलगाडी मोटरसाईकिल एवं अन्य साधन आने जाने एवं मवेशीयो के आने जाने में किसी प्रकार की रूकावट व बाधा अडचन इत्यादि नही करें व सायलान तथा अन्य सहखातेदारान उक्त रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में काम मे लेवे तो उसमे किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नहीं करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 3/1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया कि सरहद मौजा आगेवा में जबाब देहन्दागण एवं सायलान की संयुक्त सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 619, 620, 622 व 621 की कृषि भूमि अवश्य ही आई हुई है तथा राजस्व रेकर्ड गे सयुक्त सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड मे अलग से तरमीम नही है। बल्कि मौके पर पूर्वजो के समय से मांठे कायम कर अलग से अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि बंटी हुई है जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसके अलावा इस पद मे वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 में वर्णित सायलान एवं जबाब देहन्दागण की सामलाती कृषि भूमि में अपने अपने हक हिस्सो के खेतो एवं कुओ तथा रहवासी मकान में आने जाने हेतू एक रास्ता सभी खातेदारान के पूर्वजो ने अपनी सहमति व स्वीकारोक्ति से खसरा नम्बर 621 मे मौके पर छोड़ रखा है का कथन असत्य होने से अस्वीकार है। बल्कि उक्त खसरे की कृषि भूमि में प्रत्येक खातेदार का हिस्सा होने से अपने हिस्से मे से ही होकर कृषि भूमि मे आना जाना, कृषि यंत्र लाने ले जाने ट्रैक्टर कार व अन्य कृषि कार्यो में उपयोग लिये जाने वाले साधनो को लाने ले जाने एवं अपने मवेशीयो को लाने ले जाने हेतू अपने हिस्से की भूमि में से ही होकर गुजरते है किसी प्रकार का कोई अलग से रास्ता कायम किया हुआ नही है तथा न ही उक्त रास्ता अलग से राजस्व रेकर्ड में तरमीम है। बल्कि सायलान जबाब देहन्दा की कृषि भूमि में से अलग से रास्ता कायम करने पर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आमादा है और अपनी सामलाती भूमि में से हिस्सा नही देकर जबाब देहन्दागण की कृषि भूमि में से रास्ता निकालना चाहते है जो कतई संभव नही है तथा सायलान लाठी के बल पर संख्या बल मे ज्यादा होने के कारण केवल मात्र जबाब देहन्दागण को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों का समावेश कर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है जो किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का कथन पूर्ण रूप से असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस पद मे वर्णित तमाम तथ्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि जब मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होने से जबाब देहन्दा गैरसायलान व उनके प्रतिनिधि एवं काश्तकार भगाराम पुत्र केसाराम, सीता पत्नी भगाराम ने दिनांक 12/06/2021 को मौके पर आकर सायलान व अन्य सभी खातेदारान के आने जाने वाले मुख्य रास्ते मे दखलन्दाजी करने व रास्ते को बंद करने का प्रयास करने एवं सायलान के खातेदारी खेत व कुऐ तथा रहवासीय मकान पर आने जाने वाले मुख्य रास्ते को खूर्द बुर्द कर अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने की एलानिया धमकी देने के कथन मात्र सायलान ने प्रार्थनापत्र करने की गरज से झूठे एवं असत्य तथा मनगढन्त उल्लेखित किये है तथा जबाब प्रार्थनापत्र मे वर्णित तमाम तथ्य परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर जबाब देहन्दा गैरसायलान के अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होने तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नही होने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान की बजाय गैरसायलान के पक्ष मे प्रमाणित है। यदि झुठे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का आदेश गैरसायलान के विरूद्ध पारित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी निश्चित रूप से गैरसायलान को होगी। अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 3/1 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि सायलान का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसमें उत्तरदाता गैरसायल को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.पर सुनी गई। हमनें विद्धान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निषेधाज्ञा की मांग की है। वादपत्र मय हस्तगत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि ग्राम आगेवा में स्थित खसरा संख्या 619, 620, 622 व 621 सह-खातेदारी की अविभाजित आराजी है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह-खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर अलग से तरमीम नहीं है व सम्पूर्ण भूमि एक जोत में है तथा खसरा संख्या 621 में सह-खातेदारान के पूर्वजों द्वारा अपने खेतों में कुए व रहवासीय मकान पर आने जाने हेतु एक रास्ता आपसी सहमति से छोड़ा गया है जिसको गैरसायलान कंटीली बबूल की झाड़िया व पत्थर डालकर व खडाई कर सायलान को अपने खेतों, कुए व रहवासीय मकान से आवागमन के मुख्य रास्ते को बंद करते है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र के साथ गुगल सेटेलाईट की इमेज का छायाचित्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थीगण/सायलान के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हस्तगत प्रार्थना-पत्र में सायलान/प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथनों का खण्डन किया। दौराने बहस गैरसायलान के अधिवक्ता ने यह जाहिर किया कि उक्त आराजी के संबंध में गैरसायलान द्वारा दर्ज एक वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बअनवान पुखराज वगै बनाम अशोक वगै न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि आराजी संयुक्त सह-खातेदारी की सामलाती आराजी है तथा संयुक्त सह-खातेदारी आराजी के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह-खातेदार का आराजी के प्रत्येक इंच पर स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। अतः किसी भी सह-खातेदार को अपने हक-हिस्से के अलावा किसी अन्य सह-खातेदार से अधिक कोई विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रत्येक सह-खातेदार को अपने हक-हिस्से तक के खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग के अधिकार प्राप्त है। चुंकि उक्त आराजी के संबंध में विभाजन का वाद लंबित है अतः सह-खातेदारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वें एक-दूसरे के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। अतः यह बिंदू सायलान व गैरसायलान दोनों के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** संयुक्त सह-खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का राजस्व रेकर्ड में वर्णित अपने हिस्से तक की आराजी में सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। किसी सह-खातेदार द्वारा दूसरे सह-खातेदार के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित सह-खातेदार को कृषि भूमि का उपयोग/उपभोग करने में असुविधा कारित होगी। अतः सुविधा का संतुलन का बिंदू भी सायलान व गैरसायलान दोनों के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रत्येक सायलान व गैरसायलान के पक्ष में साबित हुआ है। चुंकि किसी भी सह-खातेदार को संयुक्त सामलाती

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आराजी में अपने हिस्से तक उपयोग–उपभोग का अधिकार है। जिसमें अपने हिस्से की आराजी तक बिना किसी रोक–टोक के आवागमन एक आवश्यक तत्व है। अविभाजित आराजी में सह–खातेदारों के मध्य विवाद होने की स्थिति में केवल बंटवाड़ा ही उसका उपाय है जिसमें प्रत्येक सह–खातेदार के लिए आवागमन के लिए रास्ते का प्रावधान भी किया जाता है तथा गैरसायलान द्वारा दर्ज वाद बअनवान पुखराज वगै. बनाम अशोक वगै. विभाजन का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। तथा उस बीच आवागमन में रूकावट या बाधा उत्पन्न होने से खातेदार को अपनी कृषि भूमि के उपयोग/उपभोग में कठिनाई उत्पन्न होगी, जिससे अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। अतः यह बिंदू भी सायलान व गैरसायलान के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर सायलान व गैरसायलान को ताफैसला वाद एक दूसरे के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर सायलान व गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान एव गैरसायलान की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 619 रकबा 8.3365 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.1214 हैक्टर किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.7608 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 621 रकबा 6.8716 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक दूसरे के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)